



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/05/09/ 1882  
SPMCIL/VIG/05/09/

दिनांक 30.06.2015  
Date: 30.06.2015

**परिपत्र संख्या 05/15/Circular No. 05/15**

**विषय/ Sub:** वर्ष 2014 - खरीद एवं अन्य अनुबंधों के गहन परीक्षण के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में प्रकाशिक आयोग की पुस्तिका।/Commission's publication on Guidelines on Intensive Examination of Procurement & Other Contracts, 2014 – reg..

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 08.06.2015 के पत्र द्वारा जारी वर्ष 2014 - खरीद एवं अन्य अनुबंधों के गहन परीक्षण के दिशा-निर्देश के संदर्भ में प्रकाशित पुस्तिका जो आयोग की वेबसाइट ([http://cvc.nic.in/cteguide\\_ie.pdf](http://cvc.nic.in/cteguide_ie.pdf)) पर उपलब्ध है को भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की वेबसाइट में सीवीओ कॉर्नर (<http://spmCIL.com/Interface/CVO.aspx>) के तहत भी जानकारी एवं उचित कार्यवही हेतु अपलोड किया गया है।

The guidelines on Intensive Examination of Procurement & Other Contracts, 2014 issued by the Central Vigilance Commission vide letter dated 08.06.2015 available on the Commission's website ([http://cvc.nic.in/cteguide\\_ie.pdf](http://cvc.nic.in/cteguide_ie.pdf)) is also uploaded on SPMCIL's website under CVO's Corner (<http://spmCIL.com/Interface/CVO.aspx>) for information & necessary action.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
2. This issues with the approval of Competent Authority.

*बालानी*  
30/06/15

(एस. एस. बालानी)/(S. S. BALANI)  
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/Sr. VO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना/नि.मु./Mints/Presses/Paper Mill/CHO,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./SPMCIL

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.

2. निदेशक (मा.सं./तक.) /मु.स.अ.।/Director (HR/Tech)/CVO.

3. अपर महाप्रबंधक (नि.मु.) /Addl. GM (CHO).

4. उप महाप्रबंधक (तकनीकी) /उप मु.स.अ./DGM (Tech)/Dy. CVO.

5. प्रबंधक (नि.मु.) /Manager (CHO).

6. सभी सतर्कता अधिकारी (नि.मु./इकाइयां) /All Vigilance Officials (CHO/units).

7. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.

